

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 38
व्यय विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	2.31	83.64	85.95	3.00	96.97	99.97	2.45	125.01	127.46	4.00	131.25	135.25	
पूँजी	7.20	...	7.20	2.00	...	2.00	1.03	...	1.03	
जोड़	9.51	83.64	93.15	5.00	96.97	101.97	3.48	125.01	128.49	4.00	131.25	135.25	
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	2052	...	50.87	50.87	...	55.91	55.91	...	74.67	74.67	...	89.45	89.45
अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
2. राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने की योजना	2070	2.31	1.40	3.71	3.00	1.40	4.40	2.45	1.40	3.85	4.00	1.40	5.40
3. राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान का विकास	4070	7.20	...	7.20	2.00	...	2.00	1.03	...	1.03
4. सिविल लेखा संगठन के लिए प्रशिक्षण केन्द्र (सरकारी लेखा और वित्त संस्थान)	2070	...	3.21	3.21	...	3.65	3.65	...	3.93	3.93	...	4.39	4.39
5. एशिया के सरकारी लेखा संगठन संघ को अंशदान	2070	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
6. नई पेंशन स्कीम के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को सेवा प्रभार	2070	...	28.16	28.16	...	36.00	36.00	...	45.00	45.00	...	36.00	36.00
जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		9.51	32.78	42.29	5.00	41.06	46.06	3.48	50.34	53.82	4.00	41.80	45.80
7. अधिक भुगतान की वसूलियों को घटाएं	2052	...	-0.01	-0.01
कुल जोड़		9.51	83.64	93.15	5.00	96.97	101.97	3.48	125.01	128.49	4.00	131.25	135.25
विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	9.51	...	9.51	5.00	...	5.00	3.48	...	3.48	4.00	...	4.00

1. **सचिवालय सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान महालेखा नियंत्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए योजना:** यह प्रावधान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के वित्त एवं लेखा अधिकारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाए जाने के लिए है।

3. **राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का विकास:** यह प्रावधान राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान की अतिरिक्त अवसंरचना आवश्यकता को पूरा करने के लिए है।
4. **सिविल लेखा संगठन के लिए प्रशिक्षण केन्द्र (सरकारी लेखा और वित्त संस्थान):** यह प्रावधान महालेखा नियंत्रक द्वारा सिविल लेखा संगठन के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने से संबंधित व्यय के लिए है।
5. **एशिया की सरकारी लेखा संगठन एसोसिएशन को अंशदान के लिए है।** एशिया के सरकारी लेखा संगठन एसोसिएशन को अंशदान के लिए है।
6. **नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को सेवा प्रभार:** यह प्रावधान नई पेंशन स्कीम के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को सेवा प्रभारों के भुगतान संबंधी व्यय के लिए है।